रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML-2004.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 28 जून, 2004/7 आषाढ़, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

युवा सेवाएं एवं खेल विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2004

संख्या वाई० एस० एस०-एच०(1)5/2003.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव माहलियत, तहसील पांगी (किलाड़), जिला चम्बा में खेलकूद भवन परिसर में किए जाने वाले निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग पांगी, तहसील पांगी, जिला चम्बा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

984-राजपत्र/2004-28-6-2004—1,414. मूल्य : 1 रुपया।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, यह निर्देश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग पांगी, तहसील पांगी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, पांगी, तहसील पांगी, जिला चम्बा के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : चम्बा

तहसील : पांगी

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बीघा	क्षेत्र बिस्वा
माहलियत	58/2	0	7

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित